राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/ न्याय/2018/808

दिनांक: 07.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/3832–33 दिनांक 07.02.2018 से पुलिस थाना रायपुर के अभियोग सं0 207/17 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भजनाराम पुत्र पुनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2017 को मुखबिर इत्तला धारा 42 (2) एनडीपीएस एक्ट पर श्री कल्याण सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना होकर औसाव का खेडा के बने सिंह के कुए पर हलचल कर रहे लोगो को घेरादेकर डिटेन किया। मौके पर 4 व्यक्ति मिले। 1 स्कार्पियो गाडी जिस पर एमपी 14 सीए 5478 की नम्बर प्लेट लगी हुई खडी मिली, जिसकी सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पतापूछा तो उसने अपना नाम हरजिन्द्र सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जट सिख उम्र 32 साल निवासी कोटली थाना सम्माना जिला पटियाला पंजाब का होना बताया। 2 इनोवा गाडी जिस पर एमपी 14 सीए 5578 की नम्बर प्लेट लगी हुई सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर का होना बताया। सफेद कटटो पर बेठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बुद्व सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर उम्र 23 साल निवासी गंगरोली थाना सम्माना जिला पटियाला बताया चोथे व्यक्ति ने अपना नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 24 साल निवासी खारा थाना फलोदी जिला जोधपुर का होना बताया। थानाधिकारी द्वारा अपना परिचय देकर सफेद क्टटो मे भरे पदार्थ को चैक किया तो डोडा चूरा, अफीम से भरे मिले। मौके पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के अनुरूप समस्त कार्यवाही कर भजनाराम के कब्जे से 12 बोर बन्दूक डबल बैरल तथा 10 जिदां कारतूस जप्त किये। भजनाराम से बन्दूक व कारतूस संबधी अनुज्ञापत्र चाहा गया तो नही होना बताया। कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 207/17 धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान थानाधिकारी सदर द्वारा प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा 12 बोर बन्दूक डब्ल बैरल तथा 10 जिदां कारतूस का मेकेनिक मुआयना करवाया गया तो उक्त 12 बोर व 10 जिंदा कारतूस फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना बताया। अभियुक्त भजनाराम के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने दिनांक 7.2.18 को अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संजय प्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड व आरमोरर पुलिस लाईन श्री रामगोपाल एचसी 402 उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड 12 बोर बन्दूक डबल बैरल व 10 कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त भजनाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी भोजासर थाना भोजासर जिला जोधपुर के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Proceecution Senction

जगमग झालावाड